27/14/2012-एस0आर0एस०

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय, लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
सचिवालय, देहरादून ।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री संजय रयाल, कनिष्ठ सहायक, राज्य नियोजन संस्थान से प्राप्त आवेदन का निपटान।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्री संजय रयाल, कनिष्ठ सहायक, राज्य नियोजन संस्थान से प्राप्त उत्तर प्रदेश पुनरावंटन हेतु दिया गया प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खंडपीठ द्वारा श्री संजय रयाल द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 4442/2005 मे पारित आदेश दिनांक 17.09.2009 में याची का प्रत्यावेदन निस्तारित किए जाने के निदेश दिये गये हैं । संबन्धित विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री रयाल का प्रथम विकल्प उत्तराखंड के लिए है तथा उनका अंतिम आवंटन विकल्प एवं मूलनिवास के आधार पर उत्तराखंड के लिए किया जा चुका है । अतः समिति द्वारा उनके आवेदन निरस्त किए जाने की संस्तुति कि गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री रयाल उत्तराखंड राज्य मे बने रहेंगे।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Trg., L. N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
26 JUN 2013
जारी किया/ISSUED

संबन्धित कार्मिक को निर्णय के बारे मे सूचित किया जाये ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
आवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

(1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।

(2) श्रीमति हेमलता ढौंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।